कार्यालय, नगर निगम, सोनीपत

नीलामी सुचना

सर्वसाधारण को इस नीलामी सुचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नगर निगम सोनीपत, निगम की सीमा में स्थित गावों की कृषि योग्य भूमि को 2 वर्ष काशत हेतु पट्टे पर देना चाहता है | पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की खुली बोली दिनांक 28.05.2020 को सुबह 11.00 बजे निगम कार्यालय में आयोजित की जाएगी | अत: सभी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर आकर खुली बोली में भाग ले सकते है | पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की बोली निम्नलिखित शर्तो पर करवाई जाएगी |

क्रमांक	गाँव का नाम	पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का कुल रकबा (कनाल – मरला)	बोली की तिथि
1	देवड़ू	169-14	28.05.2020
2	रेवली	145	28.05.2020
3	मुरथल पार्ट	483-01	28.05.2020
4	राई	33-07	28.05.2020
5	जाट जोशी	26-04	28.05.2020
6	जगदीशपुर	272-07	28.05.2020
7	लिवान	03-11	28.05.2020
8	जमालपुर खुर्द	24-09	28.05.2020
9	कुमाशपुर	2-0	28.05.2020

1. बोलीदाता को बोली देने से पूर्व 5 एकड़ रकबे के लिए 10,000 /- रूपए प्रति एकड़ तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 20,000 /- रूपए प्रति एकड़ धरोहर राशि मौक़े पर जमा करवानी होगी |

2. सफल बोलीदाता को दो वर्ष की पूर्ण पट्टा राशि उसी दिन नगर निगम, सोनीपत के कोष में जमा करवानी होगी | पट्टा राशि जमा न करवाने की सूरत में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि जब्त करके पुन: पट्टे पर देने बारे कार्यवाही अमल में लायी जायगी, जिसमे सफल बोलीदाता को कोई एतराज नहीं होगा |

3. सफल बोलीदाता को यह भूमि दो वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 15 .05.2022 तक के लिए जैसी है, जहां है के आधार पर पट्टे पर दी जायगी |

4. दिनांक 16.05.2022 को यदि मौके पर पट्टेदारी की कोई फसल खड़ी पाई गई तो उसका स्वामी नगर निगम, सोनीपत होगा |

5. सफल पट्टेदार को इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट / स्थानांतरित करने का कोई हक नहीं होगा |

6. सफल पट्टेदार को इस भूमि से कोई मिटटी उठाने अथवा अन्य से उठवाने का कोई अधिकार नहीं होगा |

7. सफल पट्टेदार को बोली योग्य भूमि की मल्कियत के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से चुनोती देने को कोई अधिकार नहीं होगा |

Scanned with CamScanner

8. सफल पट्टेदार के नाम संवधित भूमि की कोई गिरदावरी नही होगी और न ही करवा सकेगा |

9. सफल पट्टेदार को किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से कोई क्षति होती है तो नगर निगम उनकी पूर्ति करने के लिए जिम्मवार नहीं होगा लेकिन सरकार प्राकृतिक आपदा के नुकसान से हुई भरपाई के लिए यदि कोई मुआवजा राशि जारी करती है, तो उस मुआवजा राशि पर सफल पट्टेदार का अधिकार होगा |

10. आयुक्त नगर निगम, सोनीपत को बिना कारण बताए बोली रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा |

11. आयुक्त नगर निगम, सोनीपत को बोली आरम्भ होने से पूर्व किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार होगा |

12. सफल पट्टेदार रकबा भूमि में ट्यूबैल जिस हालत में प्राप्त करेगा उसकी हालत में वापिस सौपेगा तथा बिजली के बिल की अदायगी सफल पट्टेदार को करने होगी |

13. यदि पट्टे पर दी गये भूमि में वृक्ष लगे है तो उनको किशी भी प्रकार की हानि के लिए पट्टेदार की पूर्ण जिम्मवारी होगी|

14. सफल पट्टेदार पट्टे पर दी गई भूमि पर केवल कृषि के लिए काश्त कर सकेगा, इनके अन्दर खुदाई / मकान का निर्माण तथा कृषि के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकेगा |

15. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की सूरत में आयुक्त नगर निगम, सोनीपत आर्बिट्रेटर होंगे |

16. भूमि का पट्टा भिन्न -2 आकार के भूखंड बना कर दिया जायगा जिसकी जानकारी नीलामी से 2 दिन पूर्व कार्यालय के सूचना पट पर देखी जा सकती है |

17. सफल पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि पर धान की खेती करना वर्जित होगा |

18. आयुक्त, नगर निगम सोनीपत की अनुमति के बाद पट्टे में बोर / ट्यूबैल लगवाने की जिम्मेवारी नगर निगम, सोनीपत की होगी तथा किसी भी प्रकार की निगम सम्पति की हानि की जिम्मेवारी सफल पट्टेदार की होगी |

19. सफल पट्टेदार को नियम व शर्तो के सम्बन्ध में नगर निगम सोनीपत के साथ इकरारनामा करना होगा, यदि पट्टेदार शर्तो में किसी भी प्रकार की कोई उलंघना करता है तो बिना किसी नोटिस के आयुक्त नगर निगम, सोनीपत को पट्टा रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा |

Scanned with CamScanner